प्रकरण संख्या 14/2021 गोरजी बनाम कालिया

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.09.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी के पूर्वज हुरजी पिता वेलजी, गौतम हरि पिता बाबुडा, रतना बेवा बाबुडा, भारता पिता वेलजी के स्वामित्य एवं अधिपत्य की आराजी नंबर 1418 से 1421, 1424 से 1437 कुल किता 18 रकबा 22 बीघाा 11 बिस्वा भूमि ग्राम कनेला में स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 हुरता के पुत्र है, किन्तु हुरता की मृत्यु पर नामान्तरकरण सिर्फ प्रतिवादी संख्या 1 गोरजी के पक्ष में स्वीकृत हुआ, जबकि वादीगण भी हुरता के पुत्र हैं। उपरोक्त वर्णित भूमि में से विभाजन में हुरता के हिस्से में आराजी नंबर 1639, 1646, 1657, 1658, 1958/1647 कुल किता 5 रकबा 0.75 हैक्टर भूमि आयी जो वर्तमान में गोरजी पिता हुरता के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, जबकि उसमें वादीगण का भी समान हक व अधिकार है। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 4 वर्णित आराजियात का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य विभाजन कराया जाकर वादीगण प्रत्येक का 1/5, 1/5 एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.03.2021 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 20.09.2021 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से वकील श्री राजकुमारी लखानी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को सम्मन दिनांक 20.08.2020 जारी किया गया, जो अपीलान्ट की पत्नी बीमार होने से उसे प्राप्त नहीं हुआ एवं दूसरा सम्मन दिनांक 12.02.2021 को जारी किया गया जो भी उसे प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में सी. पी.सी. के प्रावधानों अनुसार विधिक तामिल नहीं हुई। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24.02.2021 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए उसे सुनवाई [illegible] दिये बिना वाद डिक्री किया है, जिसकी [illegible] 03.09.2021 को हुई। अतः मयाद [illegible] कर अपील अन्दर [illegible] शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र [illegible] किया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.01 13:49:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 14/2021 गोरजी बनाम कालिया

अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टि न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

वक्त बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसकी प्रोपर तामिल नहीं करवायी गयी है एवं बिना अपीलान्ट को सुने उसके खातेदारी की भूमि पैत्रक मानते हुए वादीगण का वाद डिक्री कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण है। वादीगण ग्राम पनासी छोटी में निवास करते हैं वे ग्राम कानेला में नहीं रहते। हुरता के जीवनकाल में ही दोनों गांव की जमीने बंटकर ग्राम कनेला की भूमि अपीलान्ट के हिस्से आयी थी, जो उसके खातेदारी में दर्ज हुई। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट को सुने एकपक्षीय निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी/अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके खाते की आराजियात को पैत्रृक मानते हुए अपीलान्ट की अनुपस्थिति में रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का वाद डिक्री कर दिया है, जो प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22.03.2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर एवं उन्हें सुनकर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.11.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.01 13:49:28 IST
Reason: SelfAttested